Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 9, Issue 2 | November 2021 - April 2022 | pp. 145-150

भारत में पंचायतीराज व्यवस्था एवं महात्मा गाँधी की ग्राम स्वराज संकल्पना

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

राम प्रकाश भारी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

भारत में 'पंचायतीराज' शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह एक दर्शन एवं विचारधारा है, जो केवल शासन व स्वशासन तक सीमित विचार नहीं, अपितु इसका व्यापक अर्थ है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र, गाँधीजी एवं विनोबा भावे के सर्वोदय एवं ग्राम स्वराज तथा सहभागी लोकतंत्र का पर्याय है। पंचायतीराज व्यवस्था को 'ग्रासरूट डेमोक्रेसी' या 'तृणमूल लोकतंत्र' के नाम से जाना जाता है। यह भारत के सभी राज्यों में, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। 1952 से लेकर 1992 तक पंचायतीराज संस्थाओं का काल लगभग उत्थान, पतन एवं स्थिरता का काल माना जाता है। 24 अप्रैल, 1993 को लागू 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और संस्थागत ढांचा प्रदान कर संविधान में शामिल किया गया। ग्राम स्वराज/ग्रामीण स्वशासन की अवधारणा गाँधीजी के चिन्तन का मुख्य केन्द्र बिन्दु थी और उन्होंने अपने ग्राम स्वराज के बुनियादी सिद्धान्तों में पंचायतीराज को महत्त्व प्रदान किया। इस लेख में गाँधीजी द्वारा अपने आदर्श गाँव की परिकल्पना करते हुए खाद्यान्न से लेकर शिक्षा तक में आत्मनिर्भर होने की जो बात कही थी, वह कितना कारगर साबित हो रही है, यह भी विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है, साथ ही पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से गाँधी जी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को मूर्त रूप देने हेतु ग्रामीण विकास को लेकर केन्द्र-राज्य तथा स्थानीय सरकारें जो प्रयत्न, प्रयोग एवं प्रयास सतत रूप से कर रही है, उसके सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पहलुओं पर भी इस लेख के माध्यम से प्रकाश डाला गया है। अब पंचायतीराज व्यवस्था के संस्थागतकरण ने ग्रामीण भारत का चेहरा बदल दिया है। प्रस्तुत शोध-पत्र में पंचायतीराज प्रणाली के पीछे की दृष्टि, विचार तथा विभिन्न क्षेत्रों में दशकों में की गई पहलें और जमीनी स्तर पर सफलता, जिनसे पंचायत प्रणाली एवं गाँधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को मजबूती मिली, को एक मंच पर लाने का सार्थक प्रयास किया गया है।

संकेताक्षर—*पंचायतीराज, लोकतंत्र, ग्राम स्वराज, सामुदायिक विकास, स्वदेशी, विकेन्द्रीकरण*

प्रस्तावना

''भारत का भविष्य उसके गाँवों में निहित है।''

—महात्मा गाँधी

भारत में स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण एवं नगरीय शासन व्यवस्था प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है।[1] पंचायत प्रणाली हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का भी अभिन्न अंग रही है, साथ ही भारत में सामुदायिक शासन का इतिहास भी काफी समृद्ध रहा है।[2] स्थानीय स्वशासन का अर्थ स्थानीय स्तर की उन संस्थाओं से है, जो जनता द्वारा चुनी जाती है तथा जिन्हें राष्ट्रीय या प्रान्तीय शासन के नियन्त्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं।[3] स्थानीय स्वशासन का उल्लेख विभिन्न स्वरूपों में रामायण, महाभारत काल से लेकर वैदिककाल, बौद्धकाल, मौर्यकाल, चोलकाल, मुगलकाल, ब्रिटिशकाल तथा आधुनिक वर्तमान काल तक देखने को मिलता है।

वैदिककाल में सभा व समिति नामक राजनीतिक संस्थायें थी, जो पंचायत और केन्द्रीय सभा का कार्य करती थी। मौर्यकाल में ग्रामसभा का उल्लेख मिलता है। चोलकाल में पंचायत को 'उर' कहा जाता था तथा मुगलकाल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई 'ग्राम' ही थी, जिसका मुखिया 'मुकद्दम' या 'चौधरी' कहलाता था। और अगर ब्रिटिश भारत की बात करें तो 1687 से स्थानीय शासन का आरम्भ माना जाता है।[4] 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्वायत्त शासन संस्थाओं के विकास का एक प्रस्ताव तैयार किया था, लॉर्ड रिपन का यह प्रस्ताव युगान्तकारी था। रिपन के इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वायत्त शासन का 'मेग्नाकार्टा' भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन की दिशा में किए गये कार्यों के कारण ही लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है।[5] 'पंचायतीराज' का उदय हमारे देश के लिए कोई नवीन घटना नहीं है। प्राचीनकाल में हमारे यहाँ जो पंचायतें थी, वे ग्राम प्रशासन की परम्परागत इकाइयाँ थी, जिनका उल्लेख पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पुस्तक ''विश्व इतिहास की झलक'' में भी किया था।[6] राजस्थान के इतिहास में भी पंचायतों की महत्ता को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया है तथा पंचायतों की जड़ें ऐतिहासिक शोध की प्रक्रिया में बहुत गहरी है एवं प्रत्येक युग में थोड़े बहुत अन्तर के साथ स्थानीय प्रशासनिक इकाई के रूप में उभरकर सामने आई है। पंचायतों का प्रचलन नगर एवं गाँव दोनों में समान रूप से मिलता है।[7]

महात्मा गाँधी एवं आचार्य विनोभा भावे ने भी प्रशासन की इकाई के रूप में ग्राम स्वराज को बहुत महत्त्व दिया था।[8] गाँधीजी ने भी अपनी पुस्तक ''माई पिक्चर ऑफ फ्री इण्डिया'' में ग्राम स्वराज की कल्पना की थी तथा उन्होंने अपने ग्राम स्वराज के बुनियादी सिद्धान्तों में भी 'पंचायतीराज' व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख किया था, और वर्तमान केन्द्र-राज्य एवं स्थानीय सरकारें भी इस दिशा में गाँधी की ग्राम स्वराज संकल्पना को सशक्त व समृद्ध बनाने के लिए विभिन्न प्रयोग एवं प्रयास निरन्तर कर रही है तथा इसी सन्दर्भ में 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक श्री जय प्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती के अवसर पर गाँधीजी का अनुसरण करते हुए ग्राम-स्वराज के सपने को साकार करने हेतु 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' को राज्यों में प्रारम्भ किया गया है। गाँवों में 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' लागू होने से गाँवों में आधारभूत संरचना, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, आजीविका इत्यादि का समेकित विकास हो सकेगा। 'आदर्श ग्राम योजना' के अन्तर्गत भी ग्राम पंचायत को बुनियादी इकाई के तौर पर माना है तथा इसी तर्ज पर महात्मा गाँधी के 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राजस्थान राज्य के प्रत्येक जिले में एक 'महात्मा गाँधी आदर्श ग्राम' का चयन कर इसे गाँधीवादी मूल्यों के अनुसरण तथा विभिन्न विकास योजनाओं के अभिसरण के आधार पर समुदाय के सहयोग से समग्र रूप से विकसित करने हेतु वर्ष 2019-20 में योजना का शुभारम्भ किया गया तथा चयनित ग्राम में 17 महत्त्वपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से आधारभूत संरचना को विकसित कर विकास के असन्तुलन को दूर करने के उद्देश्य से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।[9] गाँधीजी ने भी विकास स्थानीय लोगों द्वारा प्रारम्भ किये जाने एवं स्थानीय लोगों की पूर्ण सहभागिता की वकालत की थी।

स्वतंत्रता के बाद जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय पंचायतों पर आधारित 'लोकतान्त्रिक मॉडल' स्थापित करने को लेकर गाँधीजी एवं संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के मध्य गहन मंथन हुआ, क्योंकि गाँधीजी एवं उनके शिष्य गाँवों को राजनीतिक व्यवस्था का केन्द्र बनाना चाहते थे, लेकिन संविधान निर्माता इससे सहमत नहीं थे। पंचायतों को लेकर डॉ. भीमराव अम्बेडकर बेहद खिलाफ थे, लेकिन उनके खिलाफ होने का कारण तत्कालीन गाँवों की स्थिति एवं सामाजिक परिस्थितियों को माना जा सकता है। अम्बेडकर गाँवों को स्थानिकता, अज्ञानता, संकीर्णता और साम्प्रदायिकता का पर्याय मानते थे, उनका कहना था कि अगर गाँव सशक्त होंगे, तो समाज में दबंगों का साम्राज्य हो जायेगा और कमजोर वर्गों का उत्पीड़न होगा। फिर भी संविधान सभा ने गाँधीजी की भावनाओं को आदर देते हुए राज्य के 'नीति-निर्देशक तत्वों' के अनुच्छेद-40 में पंचायतों को स्थान दिया तथा 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय बनाकर इस सम्बन्ध में विधि बनाने की सम्पूर्ण शक्ति राज्य विधानमण्डलों को दी गयी।

पंचायती व्यवस्था के समर्थन में वक्तव्य

- महात्मा गाँधी : ''सच्चा लोकतंत्र केन्द्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता; अपितु यह तो गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है।''

- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद : ''संविधान को गाँवों से शुरू करके केन्द्र तक पहुँचना चाहिए, इस देश में आज तक गाँव ही बुनियादी इकाई रहे हैं और आगे भी रहेंगे।''
- प्रो. रजनी कोठारी : ''हमने 'पंचायतीराज' को विकास का संवाहक बनाने के बजाय, विकास को 'पंचायतीराज' का अभिकर्ता मान लिया है।''
- एस.सी. मजूमदार : ''शक्तिशाली गाँव ही, भारत की शक्ति का मुख्य स्रोत होंगे।''
- एम.ए. आयंगर : ''लोकतंत्र के हित में गाँवों को स्वशासन की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है।''
- एस.एल. सक्सेना : ''यदि पंचायतों को प्रकाश एवं ज्ञान का स्पर्श दिया जाये, तो वे देश की एकता और प्रगति की सबसे प्रभावशाली शक्ति बन सकते हैं।''

प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को भारत में 'पंचायतीराज दिवस' मनाया जाता है।

केन्द्र सरकार ने 02 अक्टूबर, 1952 को गाँधी जयंती की पूर्व संध्या पर घोषणा करते हुए 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' स्थानीय स्वशासन के क्रम में ही प्रारम्भ किया था, जो कि गाँधी के ग्राम स्वराज के सपने को गति देने का एक सार्थक कदम था।[10] वर्ष 1959-64 पंचायतीराज का प्रारम्भ, प्रयोग एवं विस्तार का काल था। 1965 से 1969 तक का काल उत्कर्षकाल एवं 1969 से 1992 तक का काल उपेक्षा का काल रहा।[11] 'सामुदायिक विकास योजना' का मूल्याँकन करने के लिए गठित 'बलवन्तराय मेहता समिति' के सुझावों के आधार पर सत्ता का ग्राम स्तर तक 'लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण' करने का निश्चय किया गया तथा राजस्थान ने इस दिशा में पहल की ओर शासन में लोगों की सहभागिता हेतु 02 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर कस्बे में मंगलदीप प्रज्वलित कर 'त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था' का श्री गणेश पं. जवाहर लाल नेहरू के कर कमलों से किया गया, जो कि एक ऐतिहासिक कदम भी था और सम्पूर्ण भारत देश के लिए एक प्रेरणा भी थी।[12]

इसी अवसर पर नेहरू जी ने कहा था कि—

''राजस्थान एक मायने में भारत का हृदय है, राजस्थान के लोगों ने अब निश्चय किया है, कि वे लोकतंत्र को ऊपर उठायेंगे। यह बड़ा और ऐतिहासिक काम भी है। पहले दो चीजें थी—राजा एवं प्रजा, अब यह दोनों चीजें नहीं रही है, क्योंकि राजा भी प्रजा और प्रजा भी अब राजा हो गई है।''

साथ ही उन्होंने सन् 1963 में जयपुर की एक सार्वजनिक सभा में कहा था ''कि देश की उन्नति 'किसान व तकनीक' दोनों के द्वारा ही सम्भव है एवं राजनीतिक प्रजातंत्र के साथ उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को भी महत्त्वपूर्ण माना है।[13] प्रौद्योगिकी से कौशल उभरता है और नई तकनीकों के लिए नवाचार महत्त्वपूर्ण है। ऐसे में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में तकनीकी कौशल और नवाचार पर काफी जोर दिया जा रहा है।[14]

73वें संविधान संशोधन द्वारा जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 'पंचायतीराज' संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा एवं संस्थागत ढाँचा प्रदान किया गया है। इससे सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की पंचायतीराज संस्थाओं में जनता की भागीदारी, कानून के शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं निष्पक्षता बढ़ाकर सुशासन का आधार प्रदान किया है।[15] सन् 1960 से पंचायतीराज व्यवस्था की कार्य प्रणाली के विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए अनेक अध्ययन दल, समितियाँ तथा कार्यदल नियुक्त किये जाते रहे हैं।[16]

गाँधीजी के ग्राम स्वराज के सपने को हकीकत में बदलने की निरन्तरता में ग्रामीण विकास या 'पंचायतीराज प्रणाली' के विकास की दृष्टि से केन्द्र एवं राज्य तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा प्रवर्त्तित विभिन्न योजनाएँ प्रचलन में है, जिनमें से केन्द्र सरकार की 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना', सांसद आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमन्त्री आवास योजना-ग्रामीण, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, श्यामाप्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना तथा स्वामित्व योजना एवं राजस्थान सरकार की महात्मा गाँधी जनभागीदारी विकास योजना, महात्मा गाँधी आदर्श ग्राम योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र योजना, मुख्यमन्त्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्रीय विकास योजना, मुख्यमन्त्री जिला नवाचार निधि योजना, स्मार्ट सिटी तथा श्री-योजना जिसमें स्वच्छता, स्वास्थ्य, रूरल-कनेक्टिविटी, एजूकेशन एवं एनर्जी की बात कही गयी है, अति महत्त्वपूर्ण

मानी जाती है। 'श्री (S.H.R.E.E.)' योजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य के 43,264 गाँवों का जनसंख्या के आधार पर चरणबद्ध विकास किया जाना है। प्रथम चरण में सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं 5000 से अधिक आबादी वाले गाँवों का समग्र विकास किया जाना है। आगामी 15 वर्षों में वित्तीय वर्ष 2030 तक 5 चरणों में सम्पूर्ण राज्य का समग्र विकास किया जाना है। इसके अतिरिक्त 'पंचायतीराज' की राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, विलेज मास्टर प्लान, जनता जल योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना तथा विकेन्द्रीकृत जिला आयोजना भी ग्रामीण विकास एवं ग्राम स्वराज की दृष्टि से अहम भूमिका निभा रही है।[17]

भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, इस कथन के साथ गाँधीजी ने कहा था कि जब तक गाँव स्वतंत्र नहीं होते, देश पूर्णरूप से स्वतंत्र नहीं होगा। स्वतंत्रता आन्दोलन के समय ही गाँधीजी ने ग्राम स्वराज का सपना संजोया था और कहा था कि पंचायतीराज के अभाव में राजतंत्र व जनतंत्र आधारहीन ही रहेगा। ग्रामीणों के उत्कर्ष जीवन के लिए ही उन्होंने आत्मनिर्भर आदर्शवादी पंचायतीराज व्यवस्था व ग्राम स्वराज की संकल्पना का प्रशस्तिकरण किया था। अपने ग्राम स्वराज के बुनियादी सिद्धान्तों में विकेन्द्रीकरण, स्वदेशी, स्वावलम्बन, और पंचायतीराज का विशेष उल्लेख किया था।[18] गाँधीजी ने लिखा है कि ''मेरी कल्पना की ग्राम इकाई मजबूत से मजबूत होगी। मेरी कल्पना के गाँव में एक हजार आदमी रहेंगे। आदर्श ग्राम में वे सब सुविधाएँ होंगी जो एक स्वावलम्बी ग्राम के विकास के लिए अनिवार्य होती है। ग्रामों की पुनर्रचना इस प्रकार की जाएगी कि वहाँ पर जीवन की समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साधन उपलब्ध हो। साथ ही उन्होंने भारतीय गाँवों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने एवं गरीबी दूर करने के लिए खादी को बहुत बढ़ावा दिया।[19]

''ग्राम स्वराज में मेरी कल्पना है कि वह ऐसा पूर्ण गणतंत्र होगा, जो अपनी मुख्य आवश्यकताओं के लिए अपने पड़ोसी पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि परस्पर सहयोग से काम लेगा।''[20] —महात्मा गाँधी

भारत को गरीबी, शोषण एवं बेरोजगारी से मुक्त कराने के लिए एवं स्वराज्य की स्थापना के लिए भी गाँधीजी ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण को आवश्यक माना था।[21] वर्तमान केन्द्र सरकार की 'मेक इन इण्डिया', 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसी महत्त्वपूर्ण योजनाएँ महात्मा गाँधी के स्वदेशी एवं स्वावलम्बन आन्दोलन की ही नये आवरण/मुखौटे के साथ नई परिभाषाएँ हैं।[22] महात्मा गाँधी हमेशा कहा करते थे कि भारत के वास्तविक विकास का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केन्द्रों का विकास नहीं, बल्कि मुख्य रूप से गाँवों का ही विकास है। देश की विशाल जनसंख्या को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराये बिना देश का समग्र विकास अधूरा है, इसलिए ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केन्द्र बिन्दु है।[23]

''सीमावर्ती गाँव जहाँ की जनसंख्या बहुत ही छिटपुट है, उनकी कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएँ बहुत ही सीमित है, विकास के लाभ से वंचित रह गये हैं, उत्तरी सीमा के ऐसे गाँवों को नए वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य धारा में लाया जाएगा।''[24]
—निर्मला सीतारमण, केन्द्रीय वित्त मन्त्री (बजट 2022-23 के अन्तर्गत)

ग्राम-स्वराज के मूल सिद्धान्त —गाँधीजी ने ग्राम स्वराज के निम्न बुनियादी सिद्धान्त निरूपित किये हैं—

1. मानव का सर्वोच्च स्थान	2. कायिक श्रम
3. समानता	4. संरक्षकता
5. विकेन्द्रीकरण	6. स्वदेशी
7. स्वावलम्बन	8. सहयोग
9. सत्याग्रह	10. सर्वधर्म-समभाव
11. पंचायतीराज	12. अभिनव शिक्षा पद्धति।

गाँधीजी द्वारा प्रतिपादित ग्राम-स्वराज व्यवस्था के मौलिक सिद्धान्तों के आधार पर उसकी निम्न विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं—

1. शासन की मूल इकाई ग्राम—ग्राम स्वराज व्यवस्था की सबसे महत्त्वपूर्ण एवं मौलिक विशेषता यह है कि इसमें ग्राम को शासन की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं मूल इकाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

2. जनसहभागिता—ग्राम स्वराज की व्यवस्था में निर्णय जनसहभागिता से किए जायेंगे। जैसा कि वर्तमान समय में विश्व की सभी प्रतिनिध्यात्मक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में होता है।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा—गाँधीजी के ग्राम स्वराज संकल्पना की दृष्टि से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सेनाएँ तो होंगी, लेकिन उनकी कोई आवश्यकता नहीं होगी।[25]

इस प्रकार गाँधीजी की ग्राम स्वराज परिकल्पना के सन्दर्भ में हाल ही में भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' को अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। इस योजना में 60 फीसदी बजट की बढ़ोतरी भी की गई है। इस योजना के माध्यम से 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को टिकाऊ विकास लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।[26]

निष्कर्ष

गाँधीजी ने स्वराज की कल्पना एक पवित्र अवधारणा के सन्दर्भ में की थी, उनका स्वराज गाँव में बसता था और वे ग्रामीण उद्योगों की दुर्दशा से चिन्तित थे, खादी को बढ़ावा देना तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार उनके जीवन के आदर्श थे, अर्थात् गाँधीजी का मूल उद्देश्य गाँवों को स्वावलम्बी बनाना था। गाँधी का ग्राम स्वराज एवं स्वदेशी का विचार ही हमारा सही मार्गदर्शन कर सकता है, और वर्तमान सरकारें भी 'स्वदेशी' को 'मेड इन इंडिया' एवं 'स्वावलम्बन' को 'आत्मनिर्भरता' का नया नाम देकर गाँधी मार्ग के सिद्धान्तों पर ही कार्य कर रही है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने समूचे विश्व को वैश्विक गाँव में परिवर्तित कर दिया है, अत: भारत जैसे एक विकासशील देश की उत्तर कोरोना काल में आगे की नीति यह होनी चाहिए कि वह गाँधीजी के ग्राम स्वराज और स्वदेशी की अवधारणा का अनुसरण करें। गाँधीजी का स्वदेशी एवं ग्राम स्वराज का नारा ही सच्चे अर्थों में भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में परिवर्तित कर सकता है तथा ग्राम स्वराज का मूल्याँकन तभी सार्थक होगा, जब हम इसके बुनियादी सिद्धान्तों की कसौटियों पर उनको कसें।

पंचायतीराज, जिसे विकेन्द्रित लोकतान्त्रिक पद्धति से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास का माध्यम माना गया, उसे आज भी अनेक सीमाओं एवं विरोधाभास में काम करना पड़ रहा है। राज्यों में पंचायतीराज संस्थाओं को योजना बनाने एवं उसकी क्रियान्विति का अभी पूर्ण अधिकार नहीं है, साथ ही उनके पास आर्थिक साधनों का भी लगभग अभाव होता है। आवश्यकता है कि राज्य सरकारों द्वारा संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप शक्तियों का हस्तान्तरण किया जाए, ताकि ये संस्थाएँ गाँधीजी के आदर्शों एवं कल्पनाओं के अनुरूप लोगों के कल्याण में अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकें।

अत: स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि अभी पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए ग्राम प्रजातन्त्रों के पुनर्निर्माण का कार्य करना हमारे लिए शेष है, क्योंकि सैद्धान्तिक प्रयोग एवं प्रयास ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि व्यावहारिकता में अभी पंचायतीराज व्यवस्था के विकास एवं उत्थान की दिशा में जागरूकता एवं जनभागीदारी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, तभी गाँव आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जिससे गाँधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को पूर्ण रूप से साकार किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. मीना, डॉ. जनक सिंह, राजस्थान : प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 8वां संस्करण: 2021, पृ.सं. 312
2. योजना (मासिक), सूचना भवन, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली, नवम्बर 2021, पृ.सं. 32, 64
3. शर्मा, प्रो. अशोक, भारत में स्थानीय प्रशासन, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, संस्करण 2021
4. चौधरी, राहुल, राजस्थान की राजव्यवस्था, ज्ञान-विज्ञान प्रकाशन (अजमेर) द्वितीय संस्करण : अगस्त 2021, पृ.सं. 206, 207
5. मीना, डॉ. जनक सिंह, पूर्वोक्त, पृ.सं.313
6. शर्मा, श्रीकृष्ण दत्त, दाधीच, श्रीमती सुनीता, राजस्थान पंचायतीराज कानून संग्रह, पंचायतीराज जन चेतना संस्थान, जयपुर, संस्करण: 2000, पृ.सं. 10
7. भनोत, डॉ. शिव कुमार, राजस्थान में पंचायत व्यवस्था, यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा.लि., जयपुर, संस्करण 2002, पृ.सं. 48
8. शर्मा, ब्रजकिशोर, भारत का संविधान : एक परिचय, पीएचआई, लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, सातवां संस्करण 2010, पृ.सं. 287
9. वार्षिक प्रतिवेदन, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर, 2021-22, पृ.सं. 31, 33, 83
10. प्रतियोगिता दर्पण (हिन्दी मासिक), आगरा (उ.प्र.), अक्टूबर 2021, पृ.सं. 84

11. प्रसाद अवध, गाँवों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली, पृ.सं. 23
12. शर्मा, श्रीकृष्ण दत्त, दाधीच, श्रीमती सुनीता, राजस्थान पंचायतीराज कानून संग्रह, पंचायतीराज जन चेतना संस्थान, जयपुर, संस्करण: 2000 पृ.सं. 11
13. राजस्थान सुजस (मासिक), सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर, प्रकाशन: 20 मई, 2021, पृ.सं. 39
14. कुरुक्षेत्र (मासिक अंक), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, नई दिल्ली, दिसम्बर 2021, पृ.सं. 4
15. योजना (मासिक), सूचना भवन, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली, नवम्बर 2021, पृ.सं. 16
16. लक्ष्मीकान्त, एम., भारत की राजव्यवस्था, मैकग्राहिल एजूकेशन (इंडिया) प्रा.लि., चैन्नई, छठवां संस्करण, 2020, पृ.सं. 38.4
17. वार्षिक प्रतिवेदन, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर, 2021-22, पृ.सं. 5, 66
18. नरवानी, जी.एस., राजस्थान पंचायतीराज मैन्युअल, डोमीनियन लॉ डिपो, जयपुर, संस्करण: 2000, पृ.सं.1
19. दाधीच, प्रो. नरेश, महात्मा गाँधी: एक अत्यन्त संक्षिप्त परिचय, वेडर पब्लिकेशन, जयपुर, प्रथम संस्करण: मार्च 2022, पृ.सं. 111
20. चन्देल, डॉ. धर्मवीर, गाँधी चिन्तन के विभिन्न पक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, चतुर्थ संस्करण: 2019, पृ.सं. 50
21. शर्मा, प्रो. बी.एम., शर्मा, डॉ. सविता, गाँधी दर्शन के विविध आयाम, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 8वां संस्करण: 2019, पृ.सं. 211
22. जनसत्ता, नई दिल्ली, सम्पादकीय, 31 जनवरी, 2022, पृ.सं. 8
23. दैनिक नवज्योति, जयपुर, सम्पादकीय, 4 जनवरी, 2021, पृ.सं. 6
24. कुरुक्षेत्र, (मासिक अंक), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, नई दिल्ली, मार्च 2022, पृ.सं. 51
25. शर्मा, प्रो. बी.एम., शर्मा, डॉ. सविता, गाँधी दर्शन के विविध आयाम, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 8वां संस्करण: 2019, पृ.सं. 246-255
26. समाचार जगत, जयपुर, 14 अप्रैल, 2022, पृ.सं.1